



दिनांक: 07-08-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 04.08.2026 को वादी श्री इखलाख पुत्र लतीफ ग्राम सलेमपुर थाना नागल जिला सहारनपुर की दाखिला तहरीर बावत अभियुक्तगण .1कलीम पुत्र महफुज .2नईम पुत्र महफुज .3दानिश पुत्र महफुज .4महफुज पुत्र मकसूद .5मोमिना पत्नि महफूज .6सना पत्नि नईम निवासीगण चौबारा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री नाजिस को अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित करना तथा दहेज न देने पर वादी की पुत्री की हत्या कर देना तथा मौके पर पहुँचे वादी व परिवारीजन के साथ भी मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 (2)115/(2)80/85 धारा 26/305बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 01 वांछित अभियुक्त **कलीम पुत्र महफुज निवासी चौबारा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को अलीपुर सिम्भालकी नदी के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

कलीम पुत्र महफुज निवासी चौबारा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. का0 1983 शमशेर अली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 07-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 23.07.2026 को वादी श्री पवन पुत्र सुभाष निवासी ग्राम राड़धना थाना सरधना जनपद मेरठ की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1. सागर पुत्र मोहर सिंह 2. गौरब पुत्र मोहर सिंह 3. मोहर सिंह पुत्र नामालूम 4. सुदेश पत्नी मोहरसिंह 5. राधा पुत्री मोहर सिंह नि0 गण ग्राम बडेडी घोघू थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की बहन विशाखा उम्र करीब 26 वर्ष को अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए प्रताडित करना तथा दहेज न देने पर वादी की बहन की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 288/26 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **02 वांछित अभियुक्तगण 1. मोहर सिंह पुत्र सरजीत सिंह निवासी बडेडी घोघू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर व 2. सुदेश पत्नी मोहर सिंह निवासी बडेडी घोघू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को ग्राम बडेडी घोघू से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय से समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. मोहर सिंह पुत्र सरजीत निवासी बडेडी घोघू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. श्रीमती सुदेश पत्नी मोहर सिंह निवासी बडेडी घोघू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. रि0म0का0 830 वीरवती थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07-08-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश **थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया** **गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.08.2026 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गौरव पुत्र सतीश निवासी मौहल्ला तेलीपुरा थाना रामपुर मनि0 स0पुर सम्बन्धित एस0सी0 नं0 374/20 मु0अ0सं0 564/2019 धारा 136 विधुत अधि0 चालानी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर , वाद सं0 252/2020 मु0अ0सं0 03.2020 धारा 136 विधुत अधि0 चालानी थाना तितरो , वाद सं0 372/2020 मु0अ0सं0 -505/2019 धारा 136 विधुत अधि0 चालानी थाना नकुड़ वाद सं0 373/2020 मु0अ0सं0 406/2019 धारा 136 विधुत अधि0 चालानी थाना गागलहेड़ी, वाद सं0 249/2020 मु0अ0सं0-11.2020 धारा 136/137 विधुत अधि0 चालानी थाना नानौता , वाद सं0 421/2020 मु0अ0सं0 955/2019 धारा 136 विधुत अधि0 चालानी थाना गंगौह , वाद सं0 253/2020 मु0अ0सं0 331/2019 धारा 136 विधुत अधि0 चालानी थाना गागलहेड़ा , वाद सं0 422/2020 मु0अ0सं0 02/2020 धारा 136/137 विधुत अधि0 चालानी थाना रामपुर मनिहारान.वाद सं0-251/2020 मु0अ0सं0 128/2019 धारा 136 विधुत अधि0 चालानी थाना तीतरो, वाद सं0-250/2020 मु0अ0सं0 430/19 धारा 136/137 विधुत अधि0 चालानी थाना ननौता सम्बन्धित मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 04 सहारनपुर अभियुक्त गौरव उपरोक्त को उसके मस्कन मौहल्ला तेलीपुरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गौरव पुत्र सतीश निवासी मौहल्ला तेलीपुरा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गौरव उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 02/2020 धारा 136/137 विधुत अधि0 थाना रामपुर मनि0 स0पुर
2. मु0अ0सं0 323/20 धारा 3 उ0प्र0 आरा मशीन स्थापना विनियम व 77 वन अधिनियम थाना रामपुर मनि0 स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2. का0 570 योगेन्द्र थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
3. रि0आ0 1912 कपिल कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर



दिनांक: 07-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा ट्यूबवैल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 06.08.2026 को वादी श्री ओम कुमार पुत्र बारु सिंह निवासी बढेडी कोली का थाना नांगल जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर के द्वारा वादी के ट्यूबवैल से बिजली के 03 कटआउट व बिजली का केबल को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 237/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री संजय कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त आस मौहम्मद उर्फ आशू पुत्र जमशेद निवासी ग्राम बढेडी कोली थाना नांगल जनपद सहारनपुर को ताजपुर रोड से बढेडी कोली को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 02 बिजली केबल के टुकड़े व 02 कटआउट बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मैं नशे करने का आदी हूँ तथा नशे की लत के कारण मैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मैं घरों से छोटी-मोटी चोरी करता हूँ। दिनांक 06.08.26 को भी मैंने बढेडी कोली के जंगल से एक ट्यूबवैल से बिजली का केबिल व कट आउट चोरी किया था तथा आज मैं उसे बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश में घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आस मौहम्मद उर्फ आशू पुत्र जमशेद निवासी ग्राम बढेडी कोली थाना नांगल जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

02 टुकड़े बिजली के केबल (लम्बाई करीब 10 मीटर)

02 पत्थर के कट आउट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना नांगल सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुभाष सिंह थाना नांगल सहारनपुर
3. है0का0 914 रणजीत सिंह थाना नांगल सहारनपुर
4. है0का0 1329 सुशील कुमार थाना नांगल सहारनपुर



दिनांक- 07.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग को बाधित करने व कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत अभियुक्त गिरफ्तार तथा पिकअप वाहन को सीज किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में कांवड़ यात्रा-2026 व कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.08.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा **चेकिंग के दौरान** एक पिकअप वाहन HR 58D 1424 (जिसमें मुर्गे भरे थे) जो हथनीकुण्ड से गन्देवड की तरफ कांवड़ मार्ग को बाधित कर रहा था, चालक द्वारा पिकअप के वैध प्रपत्र नहीं दिखाये गये, तो पिकअप को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में मौके पर ही सीज कर **चालक/अभियुक्त अनीस पुत्र युनूस निवासी ग्राम खैरी मढती थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 170/135/126 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अनीस पुत्र युनूस निवासी ग्राम खैरी मढती थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मुकेश सोलंकी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. का0 2428 अजय कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 07-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा पेड़ चोरी के मुकदमें में फरार चल रहा वांछित

अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 26.07.2026 को मुकदमा वादी यशपाल सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम अलीपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के आम के बाग से चोरी से पेड़ काटने की सूचना के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 209/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पेड़ चोरी के मुकदमें में **वांछित अभियुक्त लुकमान उर्फ लुक्का पुत्र इरफान निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को शेरपुर पैलो पुलिस के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

लुकमान उर्फ लुक्का पुत्र इरफान निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री चरनपाल सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 37 अमरदीप थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर



दिनांक 07-08-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमें में 02
वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 04/08/2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0 369/2026 धारा 137(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेण कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07/08/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये **02 वांछित अभियुक्तगण 1. सिद्धार्थ पुत्र अरविन्द सैनी निवासी मौ0 निर्भयपुरम थाना को0नगर जनपद सहारनपुर को रेलवे स्टेशन सहारनपुर से गिरफ्तार कर अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया और अभियुक्त 2. रजत पुत्र अशोक कुमार निवासी मौ0 निर्भयपुरम थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर को कस्बा गंगोह विद्यार्थी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। पीडिता के बयान व विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1)/61(2) बीएनएस व 5एल/6, 16/17 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- (1) सिद्धार्थ पुत्र अरविन्द सैनी निवासी निर्भयपुरम थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
- (2) रजत पुत्र अशोक निवासी निर्भयपुरम थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- (1) उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- (2) हे0का0 321 राहुल कुमार गंगोह जिला सहारनपुर
- (3) म0का0 1020 काजल थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक 07-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 30.10.2019 को वादी श्री ईश्वरपाल पुत्र शम्भू निवासी ग्राम व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त 1- राजकुमार उर्फ छोटू पुत्र सतपाल निवासी घाटेडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना पर मु0अ0सं0-503/2019 धारा-363/376(3) भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 73/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 07.08.2026 को अभियुक्त राजकुमार उर्फ छोटू पुत्र सतपाल निवासी घाटेडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0-503/2019 धारा 363 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्रीमति चंचल पुण्डीर ।

विवेचक- उ0नि0 श्री दीपक चौधरी ।

पैरोकार- है0का0 विक्रान्त थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर ।